तारीख हुक्म	बनवारी बनाम ग्यारसी दावा हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रकरण न. – 120/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दिनांक 27-02-2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।	
7.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9-4-25 को पेश हो।	
09-04-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-4-25 को पेश हो।	
21.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 28.04.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
28.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.04.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय / आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

अनवारी प्रभाव अभिधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. -120/2024
	योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121 / 2024	2024 / 336	07.10.2024	30.04.2025

उनवान प्रकरण

1. बनवारी लाल पुत्र शिवसहाय आयु 63 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नावलाई तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् उद्घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 605 रकबा 0.5900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0) [illegible] संख्या नया 195 पुराना 189 मे वादी 1/3 हिस्से का काबिज [illegible] है। वादी के पिता शिवसहाय पुत्र भूरामल की मृत्यु के पश्चात् विरासत के नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों की गफलत व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लापरवाही से वादी के पिता का नाम शिवसहाय के स्थान पर श्योसहाय अंकित कर
दिया जो गलत अंकित हैं। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 986 / 470 रकबा 0.2700
हैक्टर खाता संख्या नया 303 पुराना खाता संख्या 150 अवस्थित तन् ग्राम नावलाई
पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी वादी के पिता की मृत्यु के
बाद विरासत के नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से वादी
के पिता का नाम शिवसहाय के बजाय श्योसहाय अंकित कर दिया गया जो गलत
होकर दुरूस्तीय है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 771 रकबा 0.0500 हैक्टर तन् ग्राम
डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादी का 1 / 4 हिस्सा
राजस्व रिकार्ड में अंकित है किन्तु विरासत के नामान्तकरण में इस खाते में भी बनवारी
पुत्र श्योसहाय अंकित कर दिया गया जबकि वादी के पिता का नाम रिकार्ड में
शिवसहाय है। भूमि खसरा नम्बर 2040 / 764 रक्बा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर
2046 / 763 रकबा 0.4400 हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 0.5200 हैक्टर अवस्थित
तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के सम्पूर्ण खाता
वादी के नाम अंकित है किन्तु उक्त खाते में वादी के पिता का नाम शिवसहाय के
बजाय श्योसहाय अंकित है जो गलत होकर दुरूस्तनीय है। वादी के पिता का नाम
[illegible] कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से दर्ज होने से वादी ने हल्का पटवारी व
प्रतिवादी को निवेदन किया कि उक्त नाम दुरूस्त कर दिया जावे तो उन्होने न्यायालय
मे आदेश लाने की कही एंव वादी उक्त दुरूस्ती करवाने का कानूनी अधिकारी हैं।
वादी का पिता का नाम गलत अंकित हो जाने से वादी को राज्य सरकार द्वारा दी
जाने वाली काश्तकारो की सुविधा का उपयोग वादी नही कर पा रहा हैं और न ही
वादी उक्त भूमि की के.सी.सी. का लाभ उठा सकता हैं। इस कारण यह दुरूस्ती का
दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन
कार्ड, वोटर कार्ड मे भी वादी के [illegible] शिवसहाय हैं न कि श्योसहाय तथा
वादी के शिक्षा के दस्तावेज मे [illegible] नाम शिवसहाय हैं न कि
श्योसहाय। इस कारण वादी [illegible] पिता का नाम
दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी हैं जिसकी [illegible] करवाने हेतु वादी न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के समक्ष वादपत्र लेकर आया है। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी राजस्व अधिकारी होकर राजस्व रिकार्ड का संधारण करने वाला अधिकारी हैं। इस कारण प्रतिवादी के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वादी को काश्तगार होने के नाते भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा काश्तकार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु शीघ्र आवेदन करना है। इस कारण मामला आवश्यक [illegible] का है। वादी के भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली वित्तिय सुविधा/आर्थिक मदद हेतु आवेदन किया तो पिता का गलत नाम होने व वादी के दस्तावेजो मे अंकित नाम का बेमेल होने से उक्त आवेदन स्वीकार नही किया जा रहा हैं। उक्त गलती की जानकारी वादी को उक्त आवेदन के समय अर्थात करीब 1 माह पूर्व हुयी हैं। इस कारण वादकारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है। अत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड इस अमर की पारित की जावे कि तन ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास के खाता संख्या नया 195 पुराना 189 मे वादी के पिता का नाम जो श्योसहाय गलत अंकित है उसको शिवसहाय दुरूस्त करने के आदेश प्रतिवादी को दिये जावे। इसी प्रकार ग्राम नावलाई मे ही अवस्थित खाता संख्या नया 303 पुराना 150 मे भी वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय अंकित कर दुरूस्त किये जाने तथा इसी प्रकार खाता संख्या नया 490 पुराना 359 एंव खाता संख्या नया 479 पुराना 222 अवस्थित तन ग्राम डैरावाली पटवार हल्का मउ में वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय कर दुरूस्त किये जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को दिये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible] वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक [illegible] श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के [illegible] 716/भू.अ./2025 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.02.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का मऊ से जॉच करवाई जाकर अपनी जॉच रिपोर्ट मे अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि मे बनवारी लाल पुत्र श्योसहाय नाम विरासत से आया हुआ है। बनवारी लाल पुत्र शिवसहाय नाम व वल्दियत का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम डेरावाली में नहीं है। बनवारी लाल पुत्र श्योसहाय व बनवारी लाल पुत्र शिवसहाय दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रकरण मे वकील वादी ने वाद पत्र मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण मे आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की दो जमाबंदीया, 2017–2020, 2021–2024, 2025–2028, 2029–2032, 2033–36, 2044–2047, 2048–2051, 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067, 2068–2071 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, सरपंच ग्राम पंचायत मऊ द्वारा नाम के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वादी, पटवारी हल्का मऊ की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र मे अंकित कृषि भूमियों की खातेदारी वादी बनवारी लाल पुत्र श्योसहाय जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि अन्य दस्तावेजात् यथा मतदाता सूचि, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, सरपंच, ग्राम [illegible] मऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी के पिता का नाम शिवसहाय [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत मऊ ने अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र में श्योसहाय पुत्र भूरामल व शिवसहाय पुत्र भूरामल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

शर्मा एक व्यक्ति के ही नाम होना अंकित किया है। वादी के पिता श्योसहाय पुत्र भूरामल व शिवसहाय पुत्र भूरामल शर्मा एक ही व्यक्ति का नाम होना रिकॉर्ड से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास के खाता संख्या नया 195 पुराना 189 ग्राम नावलाई मे अवस्थित खाता संख्या नया 303 पुराना 150 मे वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय उर्फ श्योसहाय अंकित कर दुरूस्त किये जाने तथा इसी प्रकार खाता संख्या नया 490 पुराना 359 एंव खाता संख्या नया 479 पुराना 222 अवस्थित तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ में वादी के पिता का नाम श्योसहाय के स्थान पर शिवसहाय उर्फ श्योसहाय घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:52:27 IST
Reason: SelfAttested